

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जेताल पिता बालू गुर्जर निवासी आमली वगैरह

बनाम

हीरा पिता बालू गुर्जर निवासी आमली वगैरह

क्रिम नुम्दना पा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 240/2024

तारीख हुज्म	हुज्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुज्म की तारीख में जारी हुई
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम आमली प.ह. जस्तु जी का खेड़ा आराजी सं. 608, 609, 610, 611, 629, 630, 631, 632, 638, 639 कुल कित्ता 10 रकबा 4.2574 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौंती है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पत्नीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम आमली प.ह. जस्तु जी का खेड़ा आराजी सं. 608, 609, 610, 611, 629, 630, 631, 632, 638, 639 कुल कित्ता 10 रकबा 4.2574 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक धामनीया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 4000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 240/2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय -- प्र.सं. 240 / 2024 अनवान जेलाल पिता बालू गुर्जर निवासी आमली, शैतान पिता बालू गुर्जर निवासी आमली, सुडा पिता बालू गुर्जर निवासी आमली ब्राम हीरा पिता बालू गुर्जर निवासी आमली, लादू पिता बालू गुर्जर निवासी आमली, भोजा पिता गोरू गुर्जर निवासी आमली, भोजा पिता देवी गुर्जर निवासी आमली, नाथू पिता जगरूप गुर्जर निवासी आमली, जोधु पिता सदनसिंह गुर्जर निवासी आमली, पृथ्वी पिता बालू गुर्जर निवासी आमली, देवकरण पिता कल्याण दास निवासी आमली, धर्मचंद पिता रतनलाल महाजन निवासी आमली, तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम आमली प.ह. जस्सु जी का खेड़ा आराजी सं. 608, 609, 610, 611, 629, 630, 631, 632, 638, 639 कुल कित्ता 10 रकबा 4.2574 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक धामनिया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 4000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

जहाजपुर (शाहपुरा)